(159)

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, ब्लाक नं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

क्रमांक अ.स./एमपीपीटीसीएल/तेरह/193 जबलपुर, दिनांक 18 JAN 2014

परिपत्र

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी की अधोसंरचना के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियमित एवं संविदा नियुक्ति उपरांत नवनियुक्तों द्वारा कार्य पर उपस्थित होते समय नियमानुसार सेवा सह जमानत अनुबंध/संविदा अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। कंपनी द्वारा नवनियुक्तों के त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप ट्रांसमिशन कंपनी के पक्ष में निष्पादित बॉड के भुगतान में निम्न शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है :—

1. पारेषण कंपनी की अधोसंरचना के अंतर्गत नियुक्त नियमित/संविदा अधिकारी/कर्मचारी का चयन समान पद अथवा उच्च पद पर म.प्र.रा.वि.मं. की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी में होने के फलस्वरूप उनके द्वारा अन्य उत्तरवर्ती कंपनी का चयन स्वीकार किये जाने की स्थिति में, पारेषण कंपनी को प्रेषित त्याग पत्र के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा पारेषण कंपनी के पक्ष में निष्पादित सेवा अनुबंध (बॉड) की राशि के भुगतान एवं नोटिस अवधि के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मी जिन्होंने पारेषण कंपनी से त्यागपत्र दे दिया है एवं वे वर्तमान में उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत है, के प्रकरणों पर भी वांछितानुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने पर शिथिलता प्रदान किये जाने में विचार किया जा सकेगा।

   पूर्व में पारेषण कंपनी से नवनियुक्तों द्वारा दिये गये त्यागपत्र के प्रकरण पर विचार करने हेतु यह आवश्यक होगा कि कर्मी द्वारा उत्तरवर्ती कंपनी के सचिवालय से वर्तमान में संबंधित कंपनी में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र, पूर्व में बॉड राशि के भुगतान से संबंधित प्रमाण/रसीद, आवेदन सहित म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उस नियंत्रक अधिकारी को जहाँ से वह कार्यमुक्त हुआ है, प्रस्तुत करेगा। नियंत्रक अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात भुगतान हेतु प्रकरण संबंधित लेखा इकाई को नियमानुसार प्रेषित किया जावेगा। साथ ही इसकी सूचना विभाग प्रमुख एवं नियुक्ति अधिकारी को भी दिया जाना आवश्यक होगा।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि पारेषण कंपनी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अन्य संस्थानों (पूर्ववर्ती मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी के अतिरिक्त) में नियुक्ति पायें जाने के उपरांत अथवा निजी कारणों से त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात नोटिस अवधि तीन माह के स्थान पर एक माह की होगी। पूर्व में सेवा सह जमानत अनुबंध में उल्लेखित तीन माह के नोटिस अवधि को एक माह का दिनॉक 15.01.2014 से संशोधित माना जायेगा। कर्मी द्वारा निष्पादित सेवा सह जमानत अनुबंध के अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी.)
मप्रपाट्रांकंलि, जबलपुर

क्रमांक अ.स./एमपीपीटीसीएल/तेरह/194 जबलपुर, दिनांक 18 JAN 2014

प्रतिलिपि—

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र. पूर्व/मध्य/ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास)/(सी.आर.ए.)/(अति.उच्च दाब—निर्माण)/(अति.उच्च दाब—संधारण एवं निरीक्षण)/(परीक्षण एवं संचार)/(योजना एवं रूपांकन)/(प्रोक्योररमेंट)/(सिविल), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन—स्टोर), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (..), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
8. कार्यपालन अभियंता (..), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
9. स्टाफ ऑफिसर संबंद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. निज सचिव संबंद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
11. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
12. कंपनी सचिव/गोपनीय अधिकारी/कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. स्थापना प्रभारी/आदेश प्रति।